NOTE FOR THE PAD

A proposal for up-gradation of Police Post, Jundla to that of Police Station, Jundla alongwith staff was sent to the State Government vide Director General of Police, Haryana letter No. 5402/P-6, dated 10.08.2022 for according necessary sanction. State Government vide letter No. 16/05/2022-4HG-II, dated 17.11.2022 sought following clarification:-

- Under which rule a police post is up-graded into a Police
 Station. Send a copy of said rule.
- ii) Whether the building space and other necessary items i.e. Vehicle, furniture and equipment are available for proposed Police Station.
- iii) Number of Police Station and Police Post in district
 Karnal alongwith status of sanctioned post (filled up + vacant) in each Police Station and Police Post.
- iv) Send the proposal as per Finance Department instruction No. 28/12/2014-1 B&C (T&A), dated 08.06.2022 and to provide token number generated through e-post module.

Director General of Police, Haryana vide endst. No. 14494/P-6, dated 02.12.2022 sought reply on above points from Superintendent of Police, Karnal. The reply was received from Superintendent of Police, Karnal vide memo. No. 1001/SPL, dated 09.02.2023.

It is submitted that a meeting was convened by Secretary Finance -cum-Advisor, Finance Department, Haryana regarding creation of new Police Stations and up-gradation of Permanent Police Post into Police Station. Minutes of meeting were conveyed vide No. 01/20/2006-1SS/26277 dated 05.01.2023 and directed to incorporate following information in all the proposals related to creation of Police Posts and Police Stations:-

(i) A copy of Norms for setting up a New Police Station and whether the current proposal is complying with the norms.

- (ii) A copy of Norms for creation of post for newly created Police Station and whether the current proposal is complying with the norms.
- (iii) Process for filling of existing vacancies.
- (iv) Whether the newly carved out police Station will get any staff from old Police Station.
- (v) Provide the status of Sanctioned strength (Filled up +Vacant) of concerned District Police Staff.

Accordingly, Director General of Police, Haryana vide wan message No. 2392-93/P-6 dated 15.02.2023 has asked Superintendent of Police, Karnal to send reply to further queries by Finance Department. The matter is under process.

पैड के लिए नोट

पुलिस चौकी, जुंडला को पुलिस कर्मचारियो सिहत पुलिस थाना जुंडला में उन्नत करने का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पत्र संख्या 5402/पी-6, दिनांक 10-08-2022 द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक मंजुरी के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार ने पत्र संख्या 16/05/2022-4एच.जी-11, दिनांक 17-11-22 के द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था:-

- 1) किस नियम के तहत पुलिस चौंकी को पुलिस थाना में अपग्रेड किया जाता है। उक्त नियम की प्रति भिजवायें।
- 2) क्या प्रस्तावित पुलिस थाने के लिए भवन का स्थान और अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्थात वाहन, फर्नीचर और उपकरण उपलब्ध हैं।
- 3) जिला करनाल में पुलिस थाना और पुलिस चौंकी की संख्या के साथ-साथ प्रत्येक पुलिस थाना और पुलिस चौकी में स्वीकृत पद (भरे हुए + रिक्त) की स्थिति।
- 4) वित्त विभाग के निर्देश संख्या 28/12/2014-1 बी एंड सी (टी एंड ए), दिनांक 08-06-2022 के अनुसार प्रस्ताव भेजें और ई-पोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से उत्पन्न टोकन नंबर प्रदान करें।

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के पृष्ठांक 14494/पी-6 दिनांक 02-12-2022 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, करनाल से उपरोक्त बिन्दुओं पर जवाब मांगा गया था। पुलिस अधीक्षक, करनाल के पृष्ठ क्रमांक न0 1001/एसपीएल, दिनांक 09/02/2023 से जवाब प्राप्त हुआ था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सचिव वित्त-सह-सलाहकार, वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा नए पुलिस थानो के निर्माण और स्थाई पुलिस चौकी को पुलिस थाने में उन्नत करने बारे एक बैठक हुई थी। उनके कार्यालय के कार्यवृत्त क्रमांक 01/20/2006-आईएसएस/26277 दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से पुलिस चौंकियो एंव पुलिस थानो के सृजन से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों में निम्नलिखित जानकारी शामिल करने के निर्देश दिये गए थे:-

- (1) एक नया पुलिस थाना स्थापित करने के लिए मानदंड की एक प्रति और क्या वर्तमान प्रस्ताव मानदंडों का अनुपालन कर रहा है।
- (2) नवसृजित पुलिस थाना के लिए पद सृजित करने के लिए मानदंड की एक प्रति और क्या वर्तमान प्रस्ताव मानदंडों का अनुपालन कर रहा है।
- (3) मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया।

- (4) क्या नवनिर्मित पुलिस थाने को पुराने पुलिस थाने से कोई स्टाफ मिलेगा।
- (5) संबंधित जिला पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या (भरे हुए + रिक्त) की स्थिति प्रदान करें।

तदनुसार, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने अपने संदेश संख्या 2392-93/पी-6 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, करनाल को वित विभाग दवारा मांगी गई जानकारी का उतर भेजने के लिए कहा गया है। मामला प्रक्रियाधीन है।
